रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-10092025-266051
CG-DL-E-10092025-266051

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 3985] **नई दिल्ली, बुधवार, सितम्बर 10, 2025/भाद्र 19, 1947**
No. 3985] **NEW DELHI, WEDNESDAY, SEPTEMBER 10, 2025/BHADRA 19, 1947**

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय

(वाणिज्य विभाग)

(विदेश व्यापार महानिदेशालय)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 8 सितम्बर, 2025

सं. 29/2025–26

विषयः पशु गौण–उत्पादों की निर्यात नीति में संशोधन के संबंध में।

का.आ. 4100(अ).—समय–समय पर यथा संशोधित विदेश व्यापार नीति, 2023 के पैरा 1.02 और 2.01 के साथ पठित, विदेश व्यापार (विकास एवं विनियमन) अधिनियम, 1992 की धारा 5 के साथ पठित धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार एतदद्वारा तत्काल प्रभाव से अनुसूची–II (निर्यात नीति), आइटीसी (एचएस), 2022 के अध्याय 23 के अंतर्गत विशिष्ट आइटीसी (एचएस) कोड के लिए निर्यात नीति में संशोधन करती है, जो इस प्रकार हैः–

1. अनुसूची–II (निर्यात नीति), आइटीसी (एचएस) 2022 के अध्याय 23 के अंतर्गत नीतिगत शर्त 2 को निम्नानुसार शामिल किया जाता है–

एपीडा पंजीकृत एकीकृत बूचड़खानों/नगरपालिका बूचड़खानों से प्राप्त मांस, आंतरिक अंग, गट्स, मूत्राशयय, आमाशय, आंत, पिज्जल, हड्डियां, सींग, खुर, ग्रंथियां, खाल और अन्य अंग (अध्याय 02, 05 और 41) जो पालतू पशु खाद्य उत्पादों (मानव उपभोग के लिए नहीं) को बनाने में कच्चे माल के रुप में उपयोग किए जाते हैं, जिनका उस राज्य, जहां मांस प्रसंस्करण संयंत्र स्थित है, के नामित पशु चिकित्सा प्राधिकारी द्वारा इस प्रयोजन के लिए कच्चे माल की उपयुक्तता सुनिश्चित करने के लिए पोस्टमार्टम निरीक्षण और पृथक्करण किया गया है, भारतीय पशु चिकित्सा परिषद अधिनियम, 1984 के तहत विधिवत पंजीकृत पशु चिकित्सकों, जिनकी नियुक्ति बूचड़खाना इकाई द्वारा की गई हो और राज्य/संघ राज्य क्षेत्र के नामित पशु चिकित्सा प्राधिकारी द्वारा पर्यवेक्षित हों, द्वारा किए गए निरीक्षण के आधार पर प्रमाण पत्र जारी किया जाएगा।

2. निम्नलिखित आइटीसी (एचएस) कोड की निर्यात नीति को तदनुसार संषोधित किया जाता हैः

आइटीसी (एचएस) कोड और विवरण	**मौजूदा निर्यात नीतिगत शर्त**	**संशोधित निर्यात नीतिगत शर्त**
23091000 ––– कुत्ते या बिल्ली का भोजन, खुदरा बिक्री के लिए उपलब्ध	इस अध्याय की नीतिगत शर्त 1 के अधीन	इस अध्याय की नीतिगत षर्त 1 और 2 के अधीन।
23099010 ––– मिश्रित पशु आहार		
23099020 ––– मिश्रित पशु आहार के लिए कन्संट्रेट		

अधिसूचना का प्रभावः कुछ पशु गौण–उत्पादों की निर्यात नीति को विषिष्ट ईयू विनियमों के अनुरुप संशोधित किया गया है।

[फा. सं. एम–01/91/180/03/एएम–19/ईसी/ई–42921]

अजय भादू, महानिदेशक विदेश व्यापार एवं अपर सचिव

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY

(Department of Commerce)

(DIRECTORATE GENERAL OF FOREIGN TRADE)

NOTIFICATION

New Delhi, the 8th September, 2025

No. 29 / 2025-26

Subject: Amendment in Export Policy of Animal By-Products- regarding.

S.O. 4100(E).—In exercise of powers conferred by Section 3 read with section 5 of Foreign Trade (Development & Regulation) Act, 1992, read with paragraph 1.02 and 2.01 of the Foreign Trade Policy, 2023, as amended from time to time, the Central Government hereby amends export policy for specific ITC (HS) codes under Chapter 23 of Schedule-II (Export Policy), ITC(HS) 2022, with immediate effect, as follows-

1. Policy condition 2 under Chapter 23 of the Schedule-II (Export Policy), ITC(HS) 2022 is inserted as follows –

Meat, Offal, Guts, Bladders, Stomach, Intestines, Pizzle, Bones, Horn, Hooves, Glands, Hides and other organs (Chapter 02, 05 & 41) used as raw material in the preparation of pet food products (not intended for human consumption) sourced from APEDA registered integrated abattoirs/Municipal Slaughterhouses which have been subjected to post-mortem inspection and segregation to ensure the suitability of the raw material for such purpose by the designated veterinary authority of the state where the meat processing plant is located shall issue the certificate on the basis of inspections carried out by Veterinarians duly registered under Indian Veterinary Council Act, 1984 employed by the slaughtering unit and supervised by the designed veterinary authority of the state/UT.

2. Export Policy of the following ITC(HS) Codes are amended accordingly:

ITC(HS) Codes & Description	**Existing Export Policy Condition**	**Revised Export Policy Condition**
23091000 --- Dog or cat food, put up for retail sale	Subject to Policy Condition 1 of this Chapter.	Subject to Policy Condition 1 and 2 of this Chapter.
23099010 --- Compounded Animal Feed		
23099020 --- Concentrates for compound animal feed		

Effect of this Notification: Export policy of certain Animal by-products has been revised in line with specific EU Regulations.

[F No. 01/91/180/03/AM-19/EC/E- 42921]

AJAY BHADOO, Director General of Foreign Trade &Addl. Secy.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054. SARVESH KUMAR SRIVASTAVA Digitally signed by SARVESH KUMAR SRIVASTAVA Date: 2025.09.10 23:04:56 +05'30'